तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/9/24	पत्रावली आज पेश हुई। जिसको हाजिरख पेशी में लीगई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। जवाबदेही अवसर चाहा जो दिया गया पत्राव लीवास्ते जवाब में दिनांक 3/10/24 को पेश हो। अधिशासी तहसीलदार डूंगला से प्रभात त्रिपाठी को शामिल पत्रावली किया गया। 12/08/24	
3/10/24	पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं गवाह श्री..... उपस्थित.....P.O. ता० स्था० मुख्यालय से बाहर पधारे हैं..... अतः पत्रावली पूर्वादेशानुसार दि. 8/11/24 को पेश हो।	
8/11/24	पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं गवाह श्री..... उपस्थित.....P.O. ता० मुख्यालय से बाहर पधारे हैं..... अतः पत्रावली पूर्वादेशानुसार दि. 19/11/24 को पेश हो।	
19/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(2) का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। प्रार्थी श्री लक्ष्मीलाल पिता ओंकार ब्राह्मण निवासी भानाखेड़ी तहसील डूंगला द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] का प्रस्तुत कर ग्राम भानाखेड़ी पटवार [illegible] खिलोचा के खाता संख्या 137 में वर्णित [illegible] नाराजी नम्बर 70/22 आवागमन प्रार्थी की खातेदारी की नाराजी के उत्तरी तरफ स्थित मुख्य सड़क →	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.03.06 17:30:35 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

मार्ग बंगला से भानाखेड़ी से दक्षिण दिशा में स्थित सरकारी भूमि में से होते हुए आराजी नम्बर 10 पर आवागमन करते चले आ रहे है। तथा उस रास्ता का उपयोग प्रार्थी एवं उसके पूर्वजो द्वारा भी उपयोग करते आ रहे है। परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से विपक्षी संख्या 1 श्री मांगीलाल पिता पुन्ना मीणा उम्र वयस्क निवासी भानाखेड़ी लड़ाई झगड़ा करते है तथा रास्ता के आवागमन पर व्यवधान पैदा करता रहता है। इसलिए रास्ता के पूर्व दिशा में कालुलाल, नानालाल, बड़ीलाल पिता लच्छीराम की कृषि आराजीयात स्थित है जिसका आराजी नम्बर 463/68 है जिनके द्वारा भी पूर्व में रास्ता अपना बताकर विवाद किया गया जिस प्रार्थी ने इनके विरुद्ध पुलिस थाना में शिकायत पेश की गई जिस पर दिनांक 21/1/2021 को राजीनामा हुआ कि वर्षों पुराना रास्ता को बंद नही करेंगे न कोई विवाद करेंगे इस रास्ता के अलावा और कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है विपक्षी के अलावा पड़ौसी आराजी नम्बर 463/68 के खसरेदारी भूमि के खसरेदार द्वारा आपसी राजीनामा के बाद भी उक्त रास्ता का अवरुद्ध कर दिया गया है इसलिए प्रार्थी ने अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 10 पर आवागम हेतु 20 फीट चौड़ा रास्ता की मांग की गई है प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को बाद जाँच दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को अग्रिम सम्मन नोटिस हस्ब [illegible] विपक्षी सं. 1 की ओर से श्री [illegible] अधिवक्ता द्वारा हुसानबाद [illegible] हेतु अवसर चाहा [illegible] गई जवाब विपक्षी संख्या 1 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। फिर जवाब पेश नहीं किया जाने से जवाब बंद किया जाने का आदेश दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.03.06 17:30:35 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वकील पार्टी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात पाया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधान का नहीं होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 में आता है। इसलिए प्रार्थी एवं इनके अधिवक्ता को अदिशित किया जाता है कि तहसीलदार इंगला से प्राप्त रिपोर्ट एवं नक्शा के अनुसार ग्राम इंगला से भानखेड़ी सड़क मार्ग राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होकर नक्शा में डेरा डेरा (= = = =) लाल से प्रदर्शित किया गया है। अतः राजस्व रेकार्ड के अनुसार रास्ता आसामी नम्बर 68 का हिस्सा होकर किसी चरागाह में है जिसको बन्द करने का विपक्षी को कोई हक अधिकार नहीं है। यदि रास्ता विपक्षी द्वारा बंद कर दिया जाता है तथा चालागमन में कोई व्यवधान पैदा करता है तो आप प्रार्थी तहसीलदार इंगला के समक्ष आवेदन पत्र पेश कर रास्ता को खुलवाने की आवश्यक कार्यवाही करावे। निर्णय खुले न्यायालय में सिरवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.03.06 17:30:35 IST
Reason: SelfAttested